

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 15/02/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यावर्त

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (SEZ) की अध्यक्षता में 15/02/2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा एसईजेड (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

- A. अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे:-
1. श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग द्वारा नामित)
 2. श्री अशोक कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय।
 3. श्रीमती पोम्पी दास, सहायक आयुक्त, डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
 4. श्री चमन लाल, एफटीडीओ, (FTDO) अपर डीजीएफटी कार्यालय, सीएलए (CLA), नई दिल्ली
 5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
 6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड (NSEZ), (ii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ), और (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड (NSEZ) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम उपलब्ध है और बैठक का कार्य शुरू किया जा सकता है।
- C. सबसे पहले, अनुमोदन समिति के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

- (1) दिनांक 11/01/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।
- (2) यह सूचित किया गया कि दिनांक 11/01/2022 को हुई अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 11/01/2022 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) जी एस आर (GSR) इंडस्ट्रीज - नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए मूल आदेश के मद्देनजर, स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा।

2.1 यह सूचित किया गया कि इस प्रस्ताव पर 11/01/2022 को हुई पिछली बैठक में चर्चा की गई थी। क्यों कि, व्यवसाय-संघ (Firm) का कोई भी पार्टनर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था , समिति ने प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया और इकाई को निर्देश दिया कि अगली अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष पार्टनरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

2.2 इकाई से कोई भी बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुआ। यह बताया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 15/02/2022 द्वारा सूचित किया है कि व्यवसाय-संघ (Firm) के पार्टनर यात्रा पर है और प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया।

2.3 अनुमोदन समिति के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद समिति के समक्ष इकाई के पार्टनर के उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की। समिति ने इकाई के स्थायी कर्मचारी द्वारा शुल्क योग्य सामान को गुप्त रूप से हटाने की घटना पर भी गंभीरता से विचार किया। अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को स्थायी कर्मचारी के द्वारा एक "कारण बताओ नोटिस" (SCN) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत जारी करने का निर्णय लिया जिसमे उनसे पूछा गया कि SEZ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

2.4 अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त को "कारण बताओ नोटिस" (SCN) जारी करने का अधिकार दिया और लिखित उत्तर प्राप्त होने/व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति मिलने पर उस पर निर्णय लेने का भी अधिकार दिया।

(3) एयर (AIR) आईटी – स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री वरुण कुमार, इकाई के मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि उन्होंने 2018 में निर्यात के लिए केवल एक चालान तैयार किया था और इस कार्यालय को गतिविधियों के शुरू होने के बारे में

सूचित किया था। हालांकि, उसके बाद वे इस परियोजना को लागू नहीं कर सके। उन्होंने आगे कहा कि बाद में COVID-19 महामारी के कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह से रुक गया और उन्हें कोई पूंजी नहीं मिली। उत्पाद साझेदारी द्वारा व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। उपरोक्त कारणों से, वे अब SEZ योजना से बाहर निकलना चाहते हैं।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, श्री वरुण कुमार के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया और उन्हें एसईजेड (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन करने और इकाई के खिलाफ बकाया पूरे पट्टे के किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया।

(4) एम्बार्क इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के सम्बन्ध में।

4.1 श्री शैलेन्द्र बंसल, इकाई के निदेशक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अपने अधिकृत संचालन में "वजन निगरानी सेंसर (90318000) और 12V डीसी (DC) बिजली अनुकूलक (85044090)" के व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि व्यापारिक वस्तुओं की डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अनुमोदन समिति ने इकाई को 2020-21 की अवधि के लिए तत्काल वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (APR) जमा करने का भी निर्देश दिया।

(5) सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सोलुशन - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

5.1 श्री अमृत मनवानी, इकाई के मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि वे डिजाइन गतिविधियों को शामिल करना चाहते हैं ताकि वे निर्माण के साथ-साथ डिजाइन सेवाओं के लिए एकल सदन के रूप में समाधान प्रदान कर सकें। उन्होंने आगे बताया कि वे व्यवसाय-संघ (Firm) के संघटन को स्वामित्व (Proprietorship) से प्राइवेट लिमिटेड में बदलने की प्रक्रिया में हैं और इसे मंजूरी देने का अनुरोध किया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "आईसी (IC) चिप /पैकेज (घटक)/सब्सट्रेट/पीसीबी (PCB) डिजाइन की डिजाइन सेवाओं" को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया कि इकाई इस विषय पर आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्टेक्स (Softex) फॉर्म दाखिल करे और एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का अनुपालन करे। अनुमोदन समिति ने इकाई को प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी (CPC)

कोड को सूचित करने का भी निर्देश दिया। संघटन परिवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में, इकाई को सलाह दी गई थी कि पहले उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें और फिर निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ एन एस ई जेड को सूचित करें।

(6) अपोडिक्रिक रिसर्च एलएलपी – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री चिन्मय रीगल, इकाई के पार्टनर, के साथ श्री दीपक खन्ना, इकाई के महाप्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को पांच साल के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि यानी 24/03/2026 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। इकाई के व्यापार मॉडल पर विचार-विमर्श के बाद समिति ने नोट किया कि सभी उपभोग्य वस्तुएं जिन्हें एसईजेड (SEZ) से बाहर डीटीए (DTA) बिक्री किया जाएगा, वह पूर्ण शुल्क के भुगतान के प्रावधानों के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक (अर्थात् 25/03/2016-24/03/2021) के दौरान इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय (NFE Income) की उपलब्धि को नोट किया।

(7) ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना, उत्पादन क्षमता की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 श्री चेतन सेठ, इकाई के निदेशक, श्री दिलशाद अंसारी, इकाई के महाप्रबंधक, और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 11/01/2022 को हुई पिछली बैठक में इसके द्वारा निर्देशित इकाई को अनुमत निम्नलिखित मदों के संबंध में डीपीआईआईटी (DPIIT)/रक्षा मंत्रालय (MOD)/एमएचए (MHA) आदि से अपेक्षित अनुमतियों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

"डिजाइन, विकास और निर्माण:

- i) ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे निष्क्रिय दिन/रात दृष्टि उपकरण, तापीय परीक्षण उपकरण, होलोग्राफिक/प्रतिवर्त दृष्टि, गुप्तचर पैमाना, दूरबीन दृष्टि, प्रिज्मीय/पेरिस्कोपिक उपकरण और दूरबीन / एकनेत्री उपकरण;
- ii) लेजर प्रणाली जैसे लेजर रेंज फाइंडर, लेजर साइट, लेजर चेतवनी प्रणाली;
- iii) आत्म-सुरक्षा प्रणाली;

iv) इलेक्ट्रो दृष्टिपरक निगरानी और सुरक्षा प्रणाली जैसे कैमरा, सर्च लाइट, गुप्तचर पैमाना;

v) अग्नि नियंत्रण प्रणाली जैसे टैंक संचालित थर्मल इमेजिंग अग्नि नियंत्रण प्रणाली, सामरिक प्रकाश, विभिन्न सेंसर और नियंत्रण इकाइयाँ;

vi) संचार प्रणाली;

vii) उपर्युक्त मदों के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण जैसे माउंटिंग एडेप्टर, सामान रखने वाली पेटी, सुरक्षा कवर, रखरखाव किट, बिजली आपूर्ति इकाइयाँ आदि।

7.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि अनुमोदन बोर्ड समिति (BOA) से अनुमोदन के बाद इकाई को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया गया था। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र (LOA) में आगे नवीनीकरण/संशोधन भी वाणिज्य विभाग (DOC)/बीओए (BOA)/विकास आयुक्त (DC) के अनुमोदन के बाद जारी किए गए थे। यह भी देखा गया कि इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (LOA) में निम्नलिखित मदों को शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय से औद्योगिक लाइसेंस प्रस्तुत किया है:

(A) कार्बाइन 9x19 मिमी (93012000) (8500 संख्या / वर्ष); तथा

(B) निशानची राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000) (748 संख्या / वर्ष); (ii) 8.60x70 मिमी (93012000) (752 संख्या/वर्ष)]।

7.3 समिति ने यह भी देखा कि इकाई के पास निम्नलिखित मदों के लिए डीपीआईआईटी (DPIIT) से औद्योगिक अनुज्ञप्ति (License) है, जिसे वाणिज्य विभाग (DOC) से स्पष्टीकरण के बाद अनुमोदन समिति के अनुमोदन से स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल किया गया था।

"डिजाइन, विकास और निर्माण (i) मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 एमएम (MM) और संबद्ध सहायक उपकरण; (ii) अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूजीबीएल/UGBL) और (iii) एमजीएल (MGL) और यूजीबीएल (UGBL) के लिए दृष्टि प्रणाली "

7.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, औद्योगिक लाइसेंस पर आधारित अनुमोदन समिति ने उपरोक्त पैरा 7.3 में इंगित मदों के लिए 31.01.2022 से आगे तीन महीने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया और पैरा 7.1 में दर्शाया गया मदों के लिए शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत लाइसेंस से संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया। समिति ने आगे कार्बाइन 9x19 मिमी (93012000) (8500 संख्या / वर्ष) और स्प्रिपर

राइफल [(i) 7.62x51 मिमी (93012000) (748 संख्या/वर्ष); (ii) 8.60x70 मिमी (93012000) (752 संख्या/वर्ष)] को शामिल करने से संबंधित मामले की जांच करने का निर्देश दिया। समिति ने, यह ध्यान में रखते हुए कि शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत निहित शक्तियों गृह मंत्रालय और डीपीआईआईटी (DPIIT) के पास है, इस मामले को फिर से पूरे तथ्यों के साथ उनके सामने रखने का आदेश दिया।

(8) परटेक एक्सपोर्ट्स - अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना और व्यापारिक वस्तुओं की डीटीए (DTA) बिक्री के लिए (One time permission) एक बार की अनुमति।

8.1 सुश्री निधि खुल्लर, श्री विशाल खुल्लर, निदेशक, के साथ श्री पी.वी. खुल्लर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया। श्री विशाल खुल्लर ने बताया कि उनके पास इन अतिरिक्त व्यापारिक सामानों के लिए डीटीए (DTA) ग्राहकों से आदेश हैं। उन्होंने उन्हें हेडफोन की डीटीए (DTA) बिक्री के लिए एक बार अनुमति (One Time Permission) देने का भी अनुरोध किया।

8.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई पट्टा किराए का भुगतान नहीं कर रही है और वर्तमान में 31/03/2022 को इकाई के खिलाफ 16,47,184/- का पट्टा किराया बकाया है। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि हेडफोन के सामने उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड 85176960 गलत है क्योंकि उत्पाद को एचएस कोड 85183000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह सूचित किया गया था कि कस्टम के अवलोकन के अनुसार, हेडफोन उत्पाद के मूल्यांकन में कुछ त्रुटि है।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, डीटीए (DTA) बिक्री के लिए अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं को शामिल करने के लिए इकाई के अनुरोध से सहमत नहीं हुए। समिति ने इकाई को बकाया लीज रेंट का 50% तुरंत और शेष 31/03/2022 तक जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे सीमा शुल्क द्वारा उत्पाद के संशोधित मूल्यांकन और गणना के आधार पर "हेडफोन (एचएस कोड 85183000)" की बिक्री के लिए इकाई को एक बार अनुमति (One Time permission) देने का निर्णय लिया।

(9) एल्कोमेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड – एलओए (LOA) की वैधता का विस्तार, अधिकृत संचालन की समीक्षा और इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) / बीएल्यूटी (BLUT) के नियमों और शर्तों के अनुपालन की निगरानी।

9.1 इकाई के महाप्रबंधक सुश्री रश्मि जैन अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं। उन्होंने बताया कि वे उत्पादों के निर्माण में नहीं हैं और केवल निर्यात से पहले फार्मा उत्पादों की जांच, परीक्षण और फिर से पैक (repacking) करने की अनुमति है। उन्होंने अब पैकेजिंग के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का ऑर्डर दिया है और अप्रैल 2022 के अंत तक व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू होने की उम्मीद है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को छह महीने यानी 27/06/2022 तक बढ़ाने का फैसला किया। समिति ने इकाई को अपनी को विस्तारित अवधि के भीतर अधिकृत गतिविधियों और स्वीकृति पत्र (LOA) और बीएलयूटी (BLUT) के नियमों और शर्तों के सख्त अनुपालन से निर्यात गतिविधियों शुरू करने का निर्देश दिया।

(10) क्यू ए (QA) इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, निकास और संपत्ति और देनदारियां के भवन सहित प्लॉट नंबर 190, एनएसईजेड (NSEZ) से मैसर्स ग्वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को स्थानान्तरण के लिए

10.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद M/s क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 ए के अनुसार, निकास प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से और प्लॉट नंबर 190 पर अपनी संपत्ति और देनदारियों से M/s ग्वेंचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को स्थानान्तरण को अनुमोदित करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन (i) M/s क्यूए इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने और (ii) लागू स्थानान्तरण शुल्क का भुगतान करने के अधीन है।

(11) पीसी ज्वैलर लिमिटेड (इकाई-II) - प्रदर्शन की निगरानी।

11.1 अनुमोदन समिति ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सकारात्मक एनएफई (NFE) आय के साथ-साथ इकाई द्वारा निर्धारित मूल्यवर्धन की उपलब्धि को नोट किया।

(12) आर.ए. इंटरनेशनल – स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी करना।

12.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन में 'सादे चांदी के आभूषणों के निर्माण (71131110) (250 किलोग्राम / वर्ष)' को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी भी की और ब्लॉक अवधि 18.06.2015 से 17.06.2020 के दौरान सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उपलब्धि के साथ-साथ इकाई द्वारा निर्धारित मूल्यवर्धन की उपलब्धि को नोट किया।

(13) बी.एस. कैशन – डीसीपी (DCP) को रिकॉर्ड पर लेना और स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार

13.1 श्री भीम सिंह, इकाई के मालिक और श्री आशीष प्रधान, मैसर्स ईशक्ति डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन शुरू करने की तारीख (DCP) को 12/06/2020 (विदेशी मुद्रा में पहले जॉब-वर्क चालान की तारीख) के रूप में नोट करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी चालान/लेनदेन *SEZonline* प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाने चाहिए।

(14) एसी इंपेक्स – स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण।

14.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। यह बताया गया कि उन्होंने ईमेल द्वारा दिनांक 14/02/2022 प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

14.2 अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और मामले को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(15) सहसा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।

15.1 श्री अमृत मनवानी, इकाई के निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि निदेशक बदलने से शेयरधारिता नमूना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने निदेशकों में परिवर्तन की सूचना में देरी को माफ करने का भी अनुरोध किया, जो उनके कर्मचारियों द्वारा कुछ निरीक्षण के कारण हुआ।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशक में परिवर्तन को नोट किया।

(16) eShakti.com प्राइवेट लिमिटेड – स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

16.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आशीष प्रधान अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव को स्पष्ट किया।

16.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) सूती बुना हुआ कपड़ा (600410), (ii) सूती बुना हुआ कपड़ा (520832), (iii) अन्य बुना हुआ कपड़ा (600330), (iv) अन्य बुना हुआ कपड़ा (531100), (v) पॉलिएस्टर बुना हुआ कपड़ा (600590), (vi) पॉलिएस्टर बुना कपड़ा (540752)" के अधिकृत संचालन में व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(17) अत्तर मो. सईद दाऊद एंड ब्रदर्स – एसईजेड (SEZ) नियम 2006 के नियम 27 (2) के तहत यूनिट द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिकृत संचालन का हिस्सा है या नहीं।

17.1 श्री अक्षय माथुर, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया।

17.2 यह सूचित किया गया कि वाणिज्य विभाग (DOC) ने अपने पत्र दिनांक 07/01/2022 द्वारा सूचित किया है कि मामला डीजीईपी (DGEP) के साथ उठाया गया था और यह देखा गया है कि सीजीएसटी (CGST) अधिनियम, 2017 और उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है जिसके तहत पंजीकृत परिसर के भीतर उपभोग सेवा ही एक निविष्ट सेवा के रूप में माना जाएगा।

17.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, वाणिज्य विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को उक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ रिपोर्ट और ईमेल संचार की प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और इकाई से रिपोर्ट प्राप्त होने पर फाइल पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(18) डीआईएन (DIN) इंजीनियरिंग सर्विसेज एलएलपी (LLP) - (i) स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यो को शामिल करना और (ii) सॉफ्टेक्स दाखिल की छूट के संबंध में मामला।

18.1 श्री अनुज गुप्ता, इकाई के पार्टनर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव स्पष्ट किया।

18.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) व्यापारिक सेवाएं (CPC 87909), (ii) कार्यक्रम सेवाएं (CPC 84240), (iii) सिस्टम रखरखाव सेवाएं (CPC 84250), (iv) सामान्य प्रबंधन परामर्श सेवा (CPC 86501)" को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिकृत संचालन में इस शर्त के अधीन कि इकाई इस विषय पर आरबीआई (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉफ्टेक्स (Softex) फॉर्म दाखिल करेगी और धारा 2 (जेड) एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 में दी गई सेवाओं की परिभाषा का पालन करेगी।

18.3 अनुमोदन समिति ने इकाई को सॉफ्टेक्स (Softex) को दाखिल करने से संबंधित मुद्दों के संबंध में, उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों के विवरण के साथ इस मुद्दे पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई से प्रशंसात्मक विवरण या विज्ञापन (Write-up) प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई (RBI) को एक संदर्भ दिया जा सकता है। अनुमोदन समिति ने इकाई को आरबीआई (RBI) से स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक सभी सेवा गतिविधियों के लिए सॉफ्टेक्स फॉर्म दाखिल करना जारी रखने का भी निर्देश दिया।

(19) श्रीराम कंपाउंड्स - SEZ नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत प्लॉट नंबर 75, एनएसईजेड (NSEZ) में भवन सहित संपत्ति और देनदारियों का निकास और स्थानान्तरण और प्रदर्शन की निगरानी।

19.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रदर्शन की निगरानी की और M/s श्रीराम कंपाउंड्स द्वारा सकारात्मक एनएफई (NFE) आय की उल्लेखनीय उपलब्धि को नोट किया। समिति ने आगे एसईजेड (SEZ) योजना से निकास के लिए M/s श्रीराम कंपाउंड्स को अंतिम मंजूरी देने और एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 का नियम 74ए के संदर्भ में M/s निटप्रो इंटरनेशनल (यूनिट- I) को प्लॉट नंबर 75, एनएसईजेड में भवन सहित अपनी संपत्ति और देनदारियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। परियोजना अनुभाग को निर्देश दिया गया कि अंतिम निकास आदेश जारी करने से पहले, बाहर निकलने वाली इकाई द्वारा फॉर्म I और श्रम के संबंध में एनओसी (NOC) जमा करना सुनिश्चित करें।

(20) लक्ष्मण ओवरसीज - अतिरिक्त भंडारण सामानों को शामिल करने के साथ-साथ भंडारण गतिविधियों के पुनर्वैधीकरण के अनुरोध पर पुनर्विचार।

20.1 श्री विपुल अग्रवाल, इकाई के मालिक श्री विकास अग्रवाल और श्री अश्विनी अग्रवाल के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया।

20.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 28.02.2023 तक इस कार्यवृत्त के अनुलग्नक के रूप में संलग्न सूची के अनुसार माल की भंडारण गतिविधियों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(i) भंडारण की गतिविधियां केवल एसईजेड (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के दायरे और सीमा और समय-समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा जारी विषय पर निर्देश संख्या 49 और अन्य प्रासंगिक निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। इसमें एक इकाई द्वारा केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होने वाले सभी लेनदेन शामिल होंगे।

(ii) किसी भी प्रतिबंधित या प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) भंडारण माल की 100% जांच की जाएगी।

(iv) यूनिट एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क की संतुष्टि के लिए अपने निर्माण और भंडारण गतिविधियों के लिए अलग प्रवेश/निकास बनाए रखेगी।

(v) प्रत्येक तिमाही के अंत में, यूनिट निर्दिष्ट अधिकारी, सीमा शुल्क को ग्राहकों के विवरण सहित भंडारण माल का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगी, जिनका माल यूनिट के परिसर में रखा गया है।

20.3 अनुमोदन समिति ने इकाई को एलओए (LOA) के तहत अनुमत सभी विनिर्माण उत्पादों के (ITC) आईटीसी (एचएस/HS) कोड जमा करने और बकाया लीज रेंट को जल्द से जल्द चुकाने का भी निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(नितिन गुप्ता)
उप. विकास आयुक्त



(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त